भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

निगरानी 922-I-15 173

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, सागर म0 प्र0

1· लाखन सिंह उम्र करीब 56 वर्ष तनय श्री अमोल सिंह,

2· मेहरबान सिंह उम्र करीब 51 वर्ष तनय श्री अमोल सिंह,

दोनों निवासी ग्राम डाबरी, तहसील- सागर,

जिला- सागर म0 प्र0 -- पुनरीक्षणकर्तागण/अनावेदकगण

विरूद्ध

1· इन्द्राज सिंह उम्र करीब 60 वर्ष तनय श्री शेर सिंह,

निवासी- ग्राम डाबरी तहसील व जिला सागर

मध्य प्रदेश -- प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/ आवेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार सर्किल नरयावली तहसील सागर जिला सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 30-अ/6अ वर्ष 2011-2012 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 27/02/2015 से दुखित होकर अन्य आधारों सहित निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत किया जा रहा है :-

1· यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश असंगत, दूषित एवं अविधिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

2· यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण/पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा एक आपत्ति विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 12/12/2014 को प्रस्तुत की गई थी कि, प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसमें पुनरीक्षणकर्तागण के नक्शा में से प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के रकबा की पूर्ति

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला सागर

प्रकरण कमांक निगरानी 922—एक/2015

लाखन सिंह आदि विरूद्ध इन्द्राज सिंह आदि.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 07—3—2019 | प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार सर्किल नरयावली तहसील सागर जिला सागर के प्रकरण कमांक 30/अ—6—अ/2011—12 में पारित आदेश दिनांक 27—2—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 6—5—2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>सदस्य 07/3/19 | |